

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1891]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2016/श्रावण 5, 1938

No. 1891]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2016/SRAVANA 5, 1938

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2016

का.आ. 2551(अ).—केंद्रीय सरकार, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त दूसरी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 34 के सामने स्तम्भ 4 में “जुलाई, 2010 से दिसंबर, 2013 तक” शब्दों और अंकों के स्थान पर “जुलाई, 2010 से 7 जुलाई, 2015 तक” शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. आर.-13040/45/2010-एचडी(तक.)]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की दूसरी अनुसूची का पहला संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3496, तारीख 11 अक्तूबर, 1977 द्वारा किया गया था और अंतिम संशोधन का.आ. 2270(अ), तारीख 29 जून, 2016 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th July, 2016

S.O. 2551(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Government, after consulting the Central Council of Homoeopathy, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely : -

In the said Second Schedule, against serial number 34, in column 4, against the words and figures, “From July, 2010 to December, 2013”, the words and figures, “From July, 2010 to 7th July, 2015” shall be substituted.

[F. No. R-13040/45/2010-HD(Tech)]

ANURAG SHRIVASTAV, Jt. Secy.

Note : The Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) was first amended *vide* notification number S.O.3496, dated the 11th October, 1977 and last amended *vide* S.O. 2270(E) dated the 29th June, 2016.